International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 25-07-2020; Accepted: 10-08-2020; Published: 26-08-2020
www.socialsciencejournal.in
Volume 6; Issue 4; 2020; Page No. 133-136

भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य ओर चुनोतियाँ

Sanjay Kumar
Department of Political Science, Zakir Husain Delhi College Evening, University of Delhi, Delhi, India

प्रस्तावना

नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट कैबिनेट से पास होकर वर्तमान में चर्चाओं के लिए अब आ चुका है सबसे पहला मूलभूत सवाल हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली जिस प्रकार से चल रही है उस पर भी करना होगा। क्या शिक्षा से हमारे नागरिकों का वह सब जरूरतों पूरी कर रही है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अपनी कार्यशीलता या सृजनात्मकता से समाज को लाभान्वित करता है क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली एक आदर्श शिक्षा प्रणाली है यदि सभी सवालों का जवाब नही है तो हम यह मानना होगा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार की गंभीर आवश्यकता का समय आ चुका है और 34 सालों के बाद नई शिक्षा प्रणाली सरकार के द्वारा घोषित की गई है। क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली की खामियों को नई शिक्षा नीति दूर करने में कितनी तथा कहां तक सक्षम है यदि हम इन सभी केंद्र बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तो सकारात्मक तरीके से शिक्षा नीति में सुधार की बात कर पाएगें और यदि हम एक राजनीतिक सोच ओर राजनीतिक पार्टी के नजरिए से शिक्षा प्रणाली को देखेंगे तो हम इसका विरोध मात्र विरोध के लिए करेगे तो हम शिक्षा के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। सरकार ने यह शिक्षा प्रणाली बीजेपी के वोटरों के लिए नही बनाई गई है यह शिक्षा नीति 138 करोड़ भारतीयों के लिए आधार आने वाले समय में तैयार करेगी। और देश का भविष्य निर्माण करेगी तो हमें इसको पार्टी हितों से ऊपर उठकर शिक्षा नीति पर चर्चा करनी होगी, तभी हम सक्षम मजबूत शिक्षा नीति बना पाएगें।

इस संदर्भ में टी एन नायनन ने अपने एक लेख में 1 अगस्त 2020 को कहा कि " मोदी सरकार की नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) कोठारी की रिपोर्ट से कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी दस्तावेज़ है. इसमें कई सकारात्मक बातें भी हैं- मातृभाषाओं पर ज़ोर (जो कोठारी की रिपोर्ट में भी थी), स्कूल-पूर्व शिक्षा को मुख्य शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना, पाठ्यक्रमों के ढांचों में पूरा लचीलापन. ये तमाम इरादे कितने पूरे होते हैं, यह इस पर निर्भर होगा कि 30 से ज्यादा राज्य व केंद्रशासित प्रदेश और इस नीति पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं और 15 लाख स्कूल उसे किस तरह अपनाते हैं, 12 लाख आंगनवाड़ियों में कितना बदलाव लाया जाता है. किसी नीति दस्तावेज़ में जब 'समग्रता', 'बहुअनुशासन' जैसे भारी मुहावरे भरे पड़े हों तब उसको लेकर आशंकाएं बढ़ने लगती हैं. (टी एन नायनन आर्टिकल the Print , 1 August, 2020)

नई शिक्षा नीति हमारे भविष्य के युवाओं को रोजगार मिल सके, उनका नैतिक चरित्र निर्माण हो सके तथा समाज की बुराइयों को खत्म करने में महत्वपूर्ण बना सके और राष्ट्र निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका अदा सके।

नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मानव संसाधन मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे द्वारा कहा गया कि " उच्च शिक्षा में कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड अकैडमिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता आदि शामिल है। नई शिक्षा नीति और सुधारों के बाद हम 2035 तक 50 फीसद सकल नामांकन अनुपात (GER) प्राप्त करेंगे। अमित खरे ने कहा कि मल्टिपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और तीन-चार साल बाद डिग्री दी जाएगी। नए सिस्टम में ये रहेगा कि एक साल के बाद सर्टिफिकेट, दो साल के बाद डिप्लोमा, तीन या चार साल के बाद डिग्री मिल सकेगी। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम फिर M.A. और उसके बाद बिना M.Phil के सीधा PhD कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को खत्म किया गया। (jagran.com/politics)

वर्तमान शिक्षा नीति की खामियों को दुर करने के लिए शिक्षा नीति ने प्रमुख तौर पर चार- पांच केंद्र बिंदु पर फोकस किया है। सुधार उन सब जगहों पर किया गया है जहां पर काफी बरसों से सुधार करने के लिए मांग और चर्चाएं होती रहती थी।

स्कूली व्यवस्था के दो स्तरों 1-10 तक स्कूल तथा 11-12 तक के स्कूल व्यवस्था में भारी खामियां की चर्चा और उल्लेख शिक्षाविद काफी समय से कर रहे थे। नई शिक्षा नीति ने स्कूल व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की बात की है। इस समय जरूरी है कि स्कूली व्यवस्था में ही आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। वर्तमान में जो हमारे भारत में निजी स्कूली शिक्षा का धंधा चल रहा है, हमसे ज्यादा से ज्यादा फोकस परीक्षाओं पर केंद्रित है, रिजल्ट पर केंद्रित है तथा 11वीं 12वीं की जो शिक्षा व्यवस्था है वह बिल्कुल एकदम से बंद कमरों की शिक्षा व्यवस्था है यदि किसी साइंस के छात्र को आर्ट्स के किसी विषय को पढ़ना है समझना है तो इस शिक्षा में कोई भी किसी प्रकार का कोई गुंजाइश नहीं है। अब नयी शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा की बहुत सारी खामियों को मौलिक तौर पर बदलने का प्रयास है। अब छात्रों के लिए आरंभिक 1-5 क्लास तक की शिक्षा अपनी मातृभाषा में करने की बात की गई है और यह बात साबित है कि ज्ञान अर्जित करने के लिए मातृभाषा में ही बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। भारत की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी यह रही कि शिक्षा और ज्ञान अर्जन पर अंग्रेजी भाषा ने कब्जा करके रखा हुआ इसलिए बच्चा ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता को पूरा नहीं के स्थान पर अपनी पूरी क्षमता एक नई भाषा को सीखने ओर इंग्लिश भाषा मजबूत करना पर लगा हुआ है। ज्ञान को विकसित ओर मजबूती पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। भारत में क्लर्क पैदा करने वाली ब्रिटिश शासन व्यवस्था की इंग्लिश शिक्षा देने

की व्यवस्था को समाप्त करने गंभीर प्रयास किया गया है लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी किस प्रकार से मातृभाषा में शिक्षा निजी स्कूलों में आराम की जाए, यदि भारतीय भाषाओं में स्कूली शिक्षा नीति केवल सरकारी स्कूलों में मातृभाषा लागू करने तक ही सीमित रह जाती है तो भारत में दोबारा से भाषा को लेकर चल रहा भेदभाव जारी रहेगा। इन गंभीर प्रयास को सरकारों को लागू करने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति तथा दृढ़ प्रयास करने होंगे।

आल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन (ऐश) की वर्ष 2018-19 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में उच्च शैक्षिक संस्थानों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है- विश्वविद्यालय, कॉलेज और प्राइवेट (स्टैंड-अलोन) संस्थान जो डिप्लोमा प्रदान करते हैं.

वर्तमान भारत की यूनिवर्सिटी और कॉलेज व्यवस्था पर इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 993 विश्वविद्यालय, 39,931 कॉलेज और 10,725 स्टैंड-अलोन संस्थान हैं. 993 विश्वविद्यालयों में से 298 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनसे संबद्धता प्राप्त कॉलेज भी जुड़े हुए हैं, 385 प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं और 394 विश्वविद्यालय ग्रामीण अंचलों में स्थित हैं. कुछ अत्यंत प्रतिष्ठित संस्थानों को छोड़ दें तो यह सभी मुख्य रूप से पारंपरिक/प्रत्यक्ष माध्यम से ही शिक्षा दे रहे हैं.इनमें से केवल एक सेंट्रल ओपन विश्वविद्यालय, 14 स्टेट ओपन विश्वविद्यालय, 1 स्टेट प्राइवेट ओपन विश्वविद्यालय और 110 विश्वविद्यालय ही हैं जो दूरस्थ/ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्रदान करने में संलग्न हैं. (The Print ,आर्टीकल 07-07-2020)। इन सभी विश्वविद्यालयों में वर्तमान कॉलेज स्तर की शिक्षा में किसी प्रकार का नया ज्ञान नहीं मिल पा रहा है छात्रों को एक अधूरा तथा आव्यवहारिक ज्ञान लाखों लाखों स्टूडेंट्स एक ही प्रकार की कॉलेज व्यवस्था और सिलेबस को पढ़ दिया जा रहा है। वर्तमान कॉलेज शिक्षा व्यवस्था के सिलेबस का उनके व्यवहारिक जीवन में किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं आ पा रहे हैं यदि कोई साइंस , आर्ट्स , कॉमर्स छात्र सरकारी या निजी क्षेत्रों में जा रहा है, तो उसका कॉलेज का ज्ञान उसके निजी और सरकारी कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का उपयोगी नहीं रह जाता हैं भारत के कॉलेज व्यवस्था के संदर्भ में कितने रिसर्च रिपोर्ट्स आ चुकी है कि भारत में पढ़ने वाले लाखों करोड़ों युवाओं को भारत के निजी और सरकारी क्षेत्र में उनकी उपयोगिता किसी प्रकार की नहीं है। नई शिक्षा नीति ने व्यावहारिक ज्ञान, छात्रों को ज्यादा से ज्यादा विकल्प तथा शोध शिक्षा देने की बात की गई है। इसलिए 4 वर्षीय पाठ्यक्रम स्नातक स्तर पर आरंभ करने का फैसला लिया गया है। 2013 में दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम का एक प्रयोग किया गया था उसमें समय यही आपत्ति उठाई गई थी कि यह भारत की नीतिगत दस्तावेजों में नहीं है।

इस नीति को लागू के सदर्म सरकार के सामने वर्तमान चुनौती यह होगी कि शिक्षा देना कार्य जिन शिक्षकों पर है उसको एक सम्मानजनक वेतनमान तथा सुविधाएं देनी होगी, वर्तमान में भारत में शिक्षकों को वेतन और सुविधाओं देने के संदर्भ में राज्य और केंद्र सरकार के लाखों शिक्षकों को अतिथि शिक्षक, एडहॉक शिक्षक तथा शिक्षक मित्र के नाम पर बहुत ही कम न्यूनतम वेतन पर रखा गया है। इस संदर्भ में शिक्षा नीति ने विस्तार से यह नहीं बताया कि वर्तमान में चल रहे इस प्रकार के लाखों शिक्षकों को किस प्रकार से न्याय मिलेगा।

तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव शोध क्षेत्र को नई शिक्षा नीति ने चुना है वह रिसर्च पर फोकस करते हुए एक नए शोध और रिसर्च विश्वविद्यालय स्थापना करने की बात की गई है जिसमें रिसर्च पर ज्यादा से ज्यादा फोकस और संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। आइडिया सुनने में और लिखने में बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है लेकिन व्यवहारिक तरीके से जब लागू किया जाता है तो उसमें बहुत सारी खामियां उजागर होती है और उसी समय यह पता लगता है कि जैसे लिखा गया था , जैसी कल्पना की गई थी उस जमीनी स्तर लागू करते हुए बहुत सारी व्यवहारिक कारणों से लागू नहीं किया जा सकता , रिसर्च फोकस यूनिवर्सिटी का आईडिया थोड़ा सा एक अलग हटकर कुछ करने कोशिश या प्रयास किया जा रहा है लेकिन इससे जो भारत में हजारों ग्रेजुएट कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है उसको कहीं ना कहीं रिसर्च प्रणालियों से काटने का एक तरीका बन जाएगा। घोषित शिक्षा नीति को एक व्यावहारिक तरीके से चार वर्षीय कोर्स के कॉलेज व्यवस्था तथा रिसर्च यूनिवर्सिटी व्यवस्था को आपस में व्यावहारिक तरीके से जोड़ा जाए तथा कॉलेजों को आने वाले समय में रिसर्च से अलग करने वाले आईडिया पर पूर्ण विचार करना चाहिए। सरकार को कॉलेज ओर यूनिवर्सिटी की नई व्यवस्था पर दोबारा से एक चर्चा करनी होगी।

चौथा महत्वपूर्ण बदलाव इस पूरी शिक्षा नीति को लागू करने वाली संस्थाओं के निर्माण पर बात की गई है इस संदर्भ में हम यह बात करेगे कि जो वर्तमान में शिक्षा को लागू करने वाली भारत सरकार द्वारा संस्थाएं बनाई गई थी उनमें किस प्रकार की खामियां और समस्याएं पैदा हो गई थी

इस संदर्भ में दिल्ली विश्विद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर दिनेश सिंह ने यूजीसी तथा अन्य संस्थाओं के संदर्भ में सही कहां है कि "निश्चित तौर पर, एनईपी ने एक अति महत्वपूर्ण और एकल एजेंसी- नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल (एनएचईआरसी) के गठन की जरूरत पर बल दिया है, जो उस मूल भावना के अनुरूप है जिसके साथ शुरुआत में यूजीसी का गठन किया गया था. लेकिन यह नए नियामक निकाय के तौर पर अपने दायरे के आधार पर इससे कहीं आगे है. यदि यह ऐसी ही बनी रहती है जिसकी परिकल्पना की गई है, तो एजेंसी के कार्यों के माध्यम से काफी कुछ अच्छा होगा. यदि यह उसी तरह राह भटकी जैसा पिछले दशकों में यूजीसी के साथ हुआ तो एनएचईआरसी व्यापक नुकसान कर सकती है. ऐसे में, यह सुनिश्चित करना तत्कालीन सरकार की जिम्मेदारी है कि संस्थान समय के साथ अपनी उपयोगिता न खोएं" (The Print आर्टिकल ,प्रोफेसर दिनेश सिंह)

उन समस्याओं और खामियों को देखते हुए नई संस्था की आवश्यकता बहुत समय से चर्चाओं में चल रही थी इसी का प्रयास कपिल सिब्बल मानव संसाधन मंत्री के द्वारा 2009 के बाद किया गया था, यूजीसी तथा अन्य संस्थाओं को खत्म करने की बात समय-समय यूपीए (2004-14) की सरकारों के द्वारा की गई थी तो इस संदर्भ आम सहमति है कि जो वर्तमान में यूजीसी तथा अन्य नियमित संस्थाएं कार्य कर रही है वह अपने कार्य को करने में विफल हुई है। इन्हीं सब पक्षों को देखते हुए एक नई संस्था की कल्पना की गई है, ऐसे समय में हम यह महत्वपूर्ण बात भी करेंगे कि संस्थाएं फेल नहीं हो रही है ,संस्थाओं में जिस प्रकार के गैर शिक्षक विद तथा प्रशासनिक अधिकारियों को सरकारों के द्वारा समय-

समय पर नियुक्त किया जाता है। जिससे शिक्षा ओर संस्थाओं को भारी नुकसान होता रहा है। इसीलिए सरकार को इन संस्थाओं में नियुक्त व्यक्तियों के संदर्भ में भी चर्चा करनी होगी जो कि ड्राफ्ट पॉलिसी में कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है इन संस्थाओं को प्रशासनिक तरीके से चलाने की मानसिकता से बाहर निकलना होगा, सरकारों को इन संस्थाओं को शिक्षा, ज्ञान तथा रिसर्च के संबंध में फैसले लेने वाले व्यक्तियों के साथ तालमेल बनाकर ही संस्था को चलाना होगा। भारत के शिक्षा संस्थाओं की वर्तमान में यही सबसे बडी समस्या है शिक्षा व्यवस्था को एक प्रशासनिक कार्य समझ कर उनको प्रशासनिक दृष्टिकोण के नजरिए से देखकर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के तरीके को बदलना होगा। इसीलिए सरकार को इस दस्तावेज में किस प्रकार के व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा और किस प्रकार के व्यक्तियों को शिक्षा व्यवस्था से बिल्कुल भी दूर रखा जाएगा, इसकी व्याख्या भी ड्राफ्ट में होनी चाहिए, हम कई बार यह देख चुके हैं भारत के रिटायर आर्मी पर्सन या अधिकारी को विश्वविद्यालयों उपकुलपति नियुक्त कर दिया गए , इस समय हमें यह चर्चा भी करनी होगी कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर देने से शिक्षा में सुधार नहीं हो पाएगा । हमें मंत्रालय की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी शिक्षाविदों को प्रमुख पदों पर आगे लाना होगा जिससे कि शिक्षा के पक्ष में फैसले लिए जा सके । देश को चलाने वाली शिक्षा मंत्रालय में जो सबसे प्रमुख पद शिक्षा सचिव का होता है उसमें हम किस प्रकार के व्यक्ति नियुक्त करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर सीबीएसई , यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार पद, मंत्रालयों में सचिव पद जैसे सैकड़ों पदों पर प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार को नियुक्ति से बचना होगा या ऐसे अधिकारियों की सहायता लेनी चाहिए जिसके द्वारा उच्च शिक्षा या बड़े संस्थानों से सर्विस में आने के बाद या उससे पहले उच्च शिक्षा की डिग्री हासिल की हो तथा समय-समय में रिचार्ज के क्षेत्र में योगदान किया हो। स्कूली शिक्षा के प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारियों की जगह शिक्षाविदों को रखना होगा ताकि स्कूल के संबंध में सही फैसले सही समय पर लिए जा सके।

कितनी ही अच्छी और सुंदर बातें शिक्षा दस्तावेज में करें और ऊपर के जो नए परिवर्तन की बात की जा रही है स्कूली - कॉलेज - रिसर्च यूनिवर्सिटी नीतियों को लागू करने वाली संस्थाओं में बैठे हुए व्यक्तियों का यदि नजरिया इस नई शिक्षा नीति के दृष्टिकोण से तालमेल नहीं खाएगा और तालमेल नहीं बैठ पाएगा तो उस नजरिए को कभी भी वह लोग लागू नहीं कर पाएंगे।

7 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर यूजीसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संवाद सम्मेलन में कहा कि कि ये सच है कि 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है. ऐसे में हर बारीकी और सवालों पर ध्यान दिया गया है. उन्होंने बताया कि शिक्षा नीति को नया आकार देने से पहले दो सवालों को पर गंभीर रूप से विचार किया था.

पहला सवाल था, क्या नई शिक्षा नीति भविष्य में क्रिएटिविटी, क्यूरोसिटी और कमिटमेंट मेकिंग पर लोगों को बांध कर रख पाएगी?

दूसरा सवाल था. क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था Empower (सशक्तिकरण) करती है?

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "जब नर्सरी का बच्चा भी नई तकनीक के बारे में पढ़ेगा, तो उसे भविष्य की तैयारी करने में आसानी होगी. कई दशकों से शिक्षा नीति में बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए समाज में भेड़चाल को प्रोत्साहन मिल रहा था. कभी डॉक्टर-इंजीनियर-वकील बनाने की होड़ लगी हुई थी. अब युवा क्रिएटिव विचारों को आगे बढ़ा सकेगा, अब सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि वर्किंग कल्चर को डेवलेप किया गया है." (aajtak.in, नई दिल्ली, 7 August, 2020)

सरकार के द्वारा घोषित नए दस्तावेज में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने की बात की गई है यदि केंद्र और राज्य सरकारें 6% जीडीपी का खर्च नहीं कर पाती है तो आर्थिक संसाधनों के अभाव में कितनी भी अच्छी कल्पनाएं और सुंदर बातें इस दस्तावेज में की गई हो सारी की सारी धराशाई हो जाएगी। सबसे ज्यादा चिंता इस पर व्यक्त की जा रही है कि शिक्षा का निजीकरण और प्राइवेट क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा इस नई नीति में मौका मिलने वाला है तो उस पर भी एक उचित कंट्रोल की व्यवस्था बनानी होगी तथा विदेशी यूनिवर्सिटी को जिस प्रकार से इसमें आने अनुमति मिली है वह अनुमति भारत के विश्वविद्यालयों की कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए।

नई शिक्षा नीति की बहुत से विपक्षी पार्टियों के द्वारा आलोचना की गई है। केंद्र द्वारा घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कांग्रेस शासित राज्य सरकारें मानती हैं कि केंद्र ने राज्यों से बिना चर्चा किये ,इससे राज्यों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ का आंकलन किये बिना ही नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। जिस समय देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है ,स्कूल ,कॉलेज बंद पड़े हैं तब सरकार को इतनी जल्दी क्या थी कि नई नीति घोषित की जाये। कांग्रेस मानती है कि इस नीति को राज्य सरकारों ,शिक्षाविदों ,और देश में व्यापक चर्चा के बाद लाना चाहिये था। संसद में पहले बहस होती तो बेहतर होता, क्योंकि मध्यम वर्ग व गरीब के लिए नया ''डिजिटल डिवाईड''शिक्षा नीति 2020 का मुख्य केंद्र 'ऑनलाइन शिक्षा' है (शीलेष शर्मा, lokmatnews.in)

पश्चिम बंगाल (West Bengal) के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने आरोप लगाया है कि नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्र ने राज्य सरकार से कोई परामर्श और चर्चा नहीं की. देश की नई नीति (NEP2020) को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा मंत्री चटर्जी ने कहा कि वो पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि नई नीति के मसौदे की तैयारियों के दौरान से ही पश्चिम बंगाल की अनदेखी की गई. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बीते तीन से चार सालों में राज्य की ओर से दिए गए सुझावों पर भी ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि वो बुलंद आवाज़ के साथ बिना किसी डर के कह सकते हैं कि इस नीति को लेकर पूरी तरह पश्चिम बंगाल की सोच और सुझाव को अनसुना कर दिया गया. पार्थ चटर्जी के मुताबिक राज्य की 6 सदस्यीय शिक्षा समिति, विषय का विस्तृत अध्ययन कर रही है।

15 अगस्त तक रिपोर्ट आने के बाद, उस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से चर्चा के बाद ही वो इस पर अंतिम प्रतिक्रिया देंगे। (zeenews.india.com 8 अगस्त 2020)

2019 में भी भाकपा की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि सरकार तीन भाषा फार्मूले के नाम पर हिन्दी थोपने की कोशिश कर रही है. पार्टी ने कहा कि सरकार की यह पहल सिर्फ शिक्षा के लिये नहीं है बल्कि इसके पीछे सरकार का मकसद है कि किस प्रकार से सांस्कृतिक राष्ट्रवादी एजेंडे के हिस्से के रूप में हिन्दी को थोपना है. (हिंदी भाषा विवाद: Jun 05, 2019 द वायर स्टाफ)

नई शिक्षा व्यवस्था में कहीं पर भी भारत में पैदा हुए कोचिंग व्यवस्था को खत्म करने की बात नहीं की गई है लाखों-करोड़ों छात्र कोचिंग संस्थानों के भरोसे अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में लगे हुए है भारत की शिक्षा व्यवस्था से इन कोचिंग संस्थानों को भी समाप्त करना होगा ताकि सभी लोग बराबरी के स्तर पर स्कूल ओर कॉलेज की शिक्षा को प्राप्त करके अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके, कोचिंग संस्थानों ने भारत में सामाजिक- आर्थिक भेदभाव को पैदा किया है।

सरकार को हर पक्ष विशेषकर छात्र शिक्षक तथा नागरिक समाज को विश्वास में लेकर इस नई शिक्षा नीति को लागू करना चाहिए।

डॉ संजय कुमार जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति विभाग में कार्यरत है। यह उनकी निजी राय है।

संदर्भ सूची

1. सुमन मिश्रा आर्टिकल, 07-07-2020 The Print, ऑनलाइन शिक्षा के सामने कई चुनौतियां लेकिन नई शिक्षा नीति इसके समाधान के रास्ते खोल सकती है" The Print Hindi online News Portal
2. दिनेश सिंह आर्टिकल The Print August, 2020 "भारतीय विश्वविद्यालयों में सुधार लाने के लिए एनईपी की जरूरत नहीं लेकिन यूजीसी राह में बाधा बनी हुई है"
3. टी एन नायनन आर्टिकल, 1 अगस्त 2020 "अंग्रेजी आकांक्षाओं का प्रतीक है और एनईपी के बावजूद वह दो में से एक राजभाषा बनी रहेगी" The Print Hindi, 1 August, 2020
4. aajtak.in, PM मोदी ने कहा- शिक्षा नीति में शामिल हैं तीन C, जानें इनका मतलब, aajtak.in,-नई दिल्ली, 7 August, 2020
5. https://www.jagran.com/politics/national-cabinet-approves-new-education-policy-for-21st-century-prakash-javadekar-said-20570019.html?utm_source=referral&utm_medium=WA&utm_campaign=amp_social_share
6. -नई शिक्षा नीति को लेकर कांग्रेस खेमों में बंटी, इस पर होने वाले खर्च को लेकर उठे सवाल ,शीलेष शर्मा on Tue, August 04, 2020, 5:48am, lokmatnews.in
7. NEP पर तमिलनाडु के बाद बदले पश्चिम बंगाल के सुर, शिक्षा मंत्री चटर्जी ने कही ये बात ज़ी न्यूज़ डेस्क Sat, 08 Aug 2020- 3:09 am, zeenews. india.com
8. हिंदी भाषा विवाद: नई शिक्षा नीति के संशोधित मसौदे पर दो सदस्यों ने जताई आपत्ति 02:09 PM Jun 05, 2019 | द वायर स्टाफ